राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(110)ग्रावि / अनु.5 / सीएमबीपीएल–एनबीए / जिला / 2012–13   जयपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2013

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम,
   राजस्थान।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला परिषद्, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण बीपीएल आवासों के लाभार्थियों को ''महात्मा गांधी नरेगा योजना'' एवं ''निर्मल भारत अभियान'' के कन्वर्जेन्स से शौचालय निर्माण बाबत।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक जे–11017 / 41 / 2011 एमजी नरेगा (पीएच) दिनांक 11.09.2012 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं निर्मल भारत अभियान के कन्वर्जेन्स से शौचालय निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। **ग्रामीण बीपीएल आवासों के लाभार्थियों को ''महात्मा गांधी नरेगा योजना'' एवं ''निर्मल भारत अभियान'' के कन्वर्जेन्स से शौचालय निर्माण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–**

1. **ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों में शौचालयों की स्वीकृतियाँ** :– तीनों योजनाओं में स्वीकृति अधिकारी अलग– अलग होने के कारण ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों में शौचालय निर्माण की नगण्य प्रगति के सुधार करने हेतु जिला स्तर से एक ही अधिकारी द्वारा (''निर्मल भारत अभियान'' एवं ''महात्मा गांधी नरेगा'' से एक साथ कन्वर्जेन्स कर) शौचालय की स्वीकृति मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ई.जी.एस.) द्वारा जारी की जावेगी।

   शौचालयों की स्वीकृति के समय कन्वर्जेन्स के उद्देश्य से ''निर्मल भारत अभियान'' एवं ''महात्मा गांधी नरेगा'' से उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का अलग–अलग अंकन किया जावे।

2. **ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों में शौचालय की भुगतान प्रक्रिया** :– आवास की द्वितीय किश्त के भुगतान के समय महात्मा गांधी नरेगा की मस्टर रोल जारी की जावे तथा ''निर्मल भारत अभियान'' से देय प्रथम किश्त की राशि 3000 / – रूपये का भुगतान लाभार्थी के खाते में जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (आवास शाखा) से करना सुनिश्चित किया जावे। वर्तमान में आवास एवं शौचालय पूर्ण होने पर आवास की तृतीय किश्त के साथ ''निर्मल भारत अभियान'' से देय द्वितीय किश्त 1600 / – रूपये का भुगतान देय होगा।

   सुगमता की दृष्टि से ग्रामीण आवास के लाभार्थियों के बनने वाले शौचालयों के निर्माण हेतु ''निर्मल भारत अभियान'' से प्रति ईकाई 4600 / – रूपये आवास प्रकोष्ठ शाखा में एन.बी.ए. मद से राशि की उपलब्धता के अनुरूप हस्तानान्तरित करना सुनिश्चित किया जावे।

3. **ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों में शौचालय हेतु मस्टररोल जारी करना** :– आवास की द्वितीय किश्त भुगतान के समय ''महात्मा गांधी नरेगा'' से अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों हेतु मस्टररोल विकास / कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लाभार्थी के नाम से जारी कर ग्राम रोजगार सहायक

P.T.O.

के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जावे। ''महात्मा गांधी नरेगा'' की मस्टररोल जारी करने के लिए श्रमिकों के नाम जिसमें जिस लाभार्थी के नाम आवास स्वीकृत है, का नाम एवं उसके परिवार के अन्य अकुशल श्रमिक सदस्यों के नाम भी शामिल किये जा सकते है। शौचालय निर्माण करने हेतु नियोजित कारीगरों के नाम भी मस्टररोल में अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक के रूप में अंकित किये जा सकेगें। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी स्वीकृतियों के साथ ही नरेगा सॉफ्ट पर विवरण अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. <u>ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों में शौचालय का भुगतान</u> :– ''निर्मल भारत अभियान'' हेतु NIC द्वारा तैयार किये जा रहे सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जा रहा है कि ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनाओं एवं अन्य लाभार्थियों के शौचालय निर्माण हेतु ''निर्मल भारत अभियान'' एवं ''महात्मा गांधी नरेगा'' से किये जा रहे भुगतान का इन्द्राज एम.आई.एस. में हो सके।

5. <u>पूर्णता प्रमाण–पत्र</u> :– आवास व शौचालय के भौतिक रूप से पूर्ण होने पर ही उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र कनिष्ठ अभियंता/ कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा जारी किया जावेगा तथा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक ही पखवाडे में नियोजित 6 कुशल श्रमिक दिवस एवं 20 अकुशल श्रमिक दिवस को समयबद्ध भुगतान कराने हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रांक 199 दिनांक 30.10.2012 द्वारा जारी सरलीकृत उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा जारी किया जावेगा।

जारी प्रमाण–पत्र के अग्रपृष्ठ पर अंकित 29 बी को माप पुस्तिका की संज्ञा व क्रमाक को माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या के नाम से नरेगा सॉफ्ट में दर्ज वेज लिस्ट जारी की जा सकती है।

6. <u>ई मस्टररोल</u> – महात्मा गांधी नरेगा से कन्वर्जेन्स की स्थिति में ई–मस्टररोल की अनिवार्यता के कारण मस्टररोल जारी होने के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में भुगतान नहीं होने की स्थिति में बहुत अधिक संख्या में मस्टररोलों के Payment Due की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समस्या के समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी द्वारा भरे हुए मस्टररोल प्रस्तुत करने की तिथी से भुगतान अवधि की गणना मस्टररोल के पीछे इंगित ट्रेकिंग सिस्टम के अनुसार किया जावे।

7. <u>''प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2013''</u> में ''निर्मल भारत अभियान'' अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु केम्पों में काफी मात्रा में आ रहे आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति को प्रशासनिक स्वीकृति निर्मल भारत अभियान अंतर्गत इकाई लागत रूपये 4600/– केम्प में ही जारी करने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विकास अधिकारी, सहायक अभियंता(नरेगा), पंचायत समिति का दायित्व होगा कि अधिकतम एक सप्ताह में जिला परिषद् से वित्तीय स्वीकृति एनबीए एवं मनरेगा से कन्वर्जेन्स कर जारी करायेंगे।

8. <u>प्रगति समीक्षा</u>– ग्रामीण बीपीएल आवासों के लाभार्थियों को ''महात्मा गांधी नरेगा योजना'' एवं ''निर्मल भारत अभियान'' के कन्वर्जेन्स से शौचालय निर्माण एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 में चिन्हित निर्मल ग्राम पंचायतों की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी, उप खण्ड

अधिकारी द्वारा व जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं डीपीसी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र– "ए" एवं "बी" में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिले की प्रगति उक्त प्रपत्रों में **निदेशक, सीसीडीयू (स्वच्छता), पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर को नियमित रूप से उनके ई–मेल tscrajasthan@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।**

सलंग्न– प्रपत्र– "ए" एवं "बी"

भवदीय

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरा

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री/राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, नरेगा।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. समस्त जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष, जिला स्वच्छता मिशन, राजस्थान।
7. समस्त अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
8. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, आवासीय योजना/मनरेगा/एनबीए, जिला परिषद् को पालनार्थ।
9. समस्त, विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता (नरेगा) पंचायत समिति को पालनार्थ।
10. समस्त जिला समन्वयक, जिला परिषद् एवं ब्लॉक समन्वयक, पंचायत समिति "निर्मल भारत अभियान" को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता,
ग्रा. वि. विभाग

Review of NBA By Districts Collecters ~~Weekly~~ Fort nightly — Proforma (A)

S. No	Name Of Activity	First Istallment Relesed of IAY (No.)/as Per AIP Requiremnet	All ready toilet complete	Requirment of Toilet	Toilet Sanctioned inculding Convergence of MGNREGA & NBA of Required Toilet	Left Over Sanctioned of Required Toilet	Funds Transfered By NBA TO JILA PARISHAD(GVP) Only for Toilet In Awas Yes/No & Revoling Fund To GP/SSA/Others	MR Issued Of Sanction Toilet (No.)	Reason For Not Issuing MR & Rest Sanctioned Toilet	Toilet Completed	Under Progress	Not Start
1	CMBPL											
2	IAY Regular											
3	IAY Incentive											
	Total											
4	School Toilet											
6 A	Aagan Bari Toilet											
6B / 7	आंगनवाड़ी (भोजन). Building; Rajeev Gandhi Seva Kendra Toilet GP Level											
8	Rajeev Gandhi Seva Kendra Toilet PS Level											
9	Community Complex											

Sig. CEO / BDO ZP / P.S.

Sig. 7 Block / District Coordinator ZP / PS

Sig. DSC NBA (AEN (EGS P.S / Z.P)

K.T.O.

For Identified NGP Panchayat

Proforma (B)

S.No	Name Of Block	Identified Panchayat Name	Survey By Rojgar shayek / prerak (Yes / No)	If Yes Requirment of Toilet	Toilet Sanctioned inculding Convergence of MGNREGA & NBA of Required Toilet	Left Over Sanctioned of Required Toilet	Funds Transfered By NBA To GP in terms Of Revoling Fund/ NGO Link With Corporet Or Reputed/SSA/Others	MR Issued Of Sanction Toilet (No.)	Reason For Not Issuing MR	Toilet Comp.	Under Progress	Not Start	Prerak Select Yes/No Min.2 Of each GP On Job Bassis	Status of ODF In % age	Status Of SLWM Proposal Of 7/20 lakh	Required time Length For NGP Panchay at	Payment relesing to Motiveters Timely Yes/No

A) NGP Panchayat

) other than NGP Panchayat

Sig. of BDO / CEO / BDO - ZP / P.S

Sig. of Block / Distt Cordinator ZP / P.S

Sig. of NBA AE / [illegible] (ZP/P.S)

Note:- Review shall be made by Collector - CEO (ZP) / SDO - BDO P.S fortnightly for NGP GP and Non NGP Including Sanction Release [illegible] By BDO P.S